

**श्रेणी अ (i) :- 175.0 वर्गमीटर तक के भूखण्डों हेतु कम्पाउडिंग फीस
(सेल्फ एसेंसमेन्ट फॉर्म)**

1. भूखण्डधारी का नाम
एवं पता
2. योजना का नाम/खसरा नं व ग्राम
3. भूखण्ड संख्या
4. भूखण्ड का माप एवं क्षेत्रफल वर्गगज/वर्ग मीटर
5. भूखण्ड के सैट-बैक सामने साईड(1) साईड (2) पीछे
जारी साईट प्लान अनुसार
6. योजना की आरक्षित दर = `वर्गगज/वर्गमीटर

तल

1. अग्र सैटबैक

i) सैटबैक की चौड़ाई का 10% तक X निर्मित क्षेत्र = साईज :

$$= \text{क्षेत्रफल} @ (\text{आरक्षित दर}) = `$$

(ii) 10% से अधिक निर्माण (कम्पाउण्ड योग्य नहीं) = साईज :

क्षेत्रफल

(iii) बॉलकनी सैटबैक की चौड़ाई का 1/2 = साईज

@ (50 % आरक्षित दर)

या 1.5 मीटर तक, जो भी कम हो = `

(iv) बॉलकनी का अधिक निर्माण (कम्पाउण्ड योग्य नहीं) = साईज :

क्षेत्रफल

2. साईड सैटबैक – I ()

(i) सैटबैक में निर्मित क्षेत्रफल = साईज :

$$= \text{क्षेत्रफल}$$

(ii) स्वीकृत क्षेत्र का 25% तक =

@ (50 % आरक्षित दर)

= `

(iii) स्वीकृत क्षेत्र का 25% =
से अधिक परन्तु 75% तक

@ (आरक्षित दर)

= `

(iv) 75% से अधिक निर्माण (कम्पाउण्ड योग्य नहीं) = साईज :

$$= \text{क्षेत्रफल}$$

(v) बॉलकनी सैटबैक की चौड़ाई का 1/2 = साईज :

या 1.5 मीटर तक जो भी कम हो = क्षेत्रफल

@(50 % आरक्षित दर)

= `

(vi) बॉलकनी का अधिक निर्माण (कम्पाउण्ड योग्य नहीं) = साईज :

क्षेत्रफल

3. पीछे का सैटबैक –

(i) सैटबैक में निर्मित क्षेत्रफल = साईज :
= क्षेत्रफल

(ii) स्वीकृत क्षेत्र का 25% तक = @ (50 % आरक्षित दर) = `

(iii) स्वीकृत क्षेत्र का 25% = @ (आरक्षित दर) = `
से अधिक परन्तु 75% तक

(iv) 75% से अधिक निर्माण (कम्पाउण्ड योग्य नहीं) = साईज :
= क्षेत्रफल

(v) बॉलकनी सैटबैक की चौड़ाई का 1/2 = साईज :
या 1.5 मीटर तक जो भी कम हो = क्षेत्रफल @ (50 % आरक्षित दर)
= `

(vi) बॉलकनी का अधिक निर्माण (कम्पाउण्ड योग्य नहीं) = साईज : क्षेत्रफल

योग 1 (i), (iii) + 2, 3 व 4 (ii), (iii) व (v) = `

अनुज्ञेय योग्य निर्माण बिना स्वीकृति करने पर ` 2000 (प्रति मंजिल/तहखाना) = `

कुल देय राशि = `

नोट :- मानचित्रों में कम्पाउडिंग क्षेत्र की साईज हरे रंग से

एवं नॉन कम्पाउडेबल क्षेत्र की साईज पीले रंग से दर्शाये।

नक्शा लाइसेन्सशुदा आर्किटेक्ट

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम

सील

हस्ताक्षर

दिनांक

नोट :- एसेसमेन्ट फॉर्म नगर सुधार न्यास, अजमेर की वेबसाईट www.uitajmer.org से डाउनलोड कर सकते हैं।

प्रमाण पत्र

मेरे द्वारा भूखण्ड संख्या खसरा नं. ग्राम/योजना..... आवेदक
.....निवासीके मौके पर
किये गये निर्माण के अनुसार तैयार किये गये भवन मानचित्र व सेल्फ एसेसमेन्ट मौके के अनुरूप सही है। अगर किसी भी
प्रकार की त्रुटि पाई जाती है तो वह मेरे स्वयं की जिम्मेदारी होगी।

नक्शा लाइसेन्सशुदा आर्किटेक्ट

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम

सील

हस्ताक्षर

दिनांक

**श्रेणी अ (ii) :- 175.0 वर्गमीटर से बड़े परन्तु 750 व.मी. तक के भूखण्डों हेतु
कम्पाउडिंग फीस
(सेल्फ एसेसमेन्ट फॉर्म)**

1. भूखण्डधारी का नाम
एवं पता
2. योजना का नाम/खसरा नं व ग्राम
3. भूखण्ड संख्या
4. भूखण्ड का माप एवं क्षेत्रफल वर्गगज/वर्ग मीटर
5. भूखण्ड के सैट-बैक सामने साईड(1) साईड (2) पीछे
जारी साईट प्लान अनुसार
6. योजना की आरक्षित दर = `वर्गगज/वर्गमीटर

तल

1. अग्र सैटबैक

(i) सैटबैक की चौड़ाई का 10% तक X निर्मित क्षेत्र = साईज .:

$$= \text{क्षेत्रफल} @ (\text{आरक्षित दर}) = `$$

(ii) 10% से अधिक निर्माण (कम्पाउण्ड योग्य नहीं) = साईज :

क्षेत्रफल

(iii) बॉलकनी सैटबैक की चौड़ाई का 1/2 = साईज

@ (50 % आरक्षित दर)

या 1.5 मीटर तक, जो भी कम हो = `

(iv) बॉलकनी का अधिक निर्माण (कम्पाउण्ड योग्य नहीं) = साईज :

क्षेत्रफल

2. साईड सैटबैक – I ()

(i) सैटबैक में निर्मित क्षेत्रफल = साईज :

= क्षेत्रफल

(ii) स्वीकृत क्षेत्र का 25% तक =

@ (50 % आरक्षित दर)

= `

(iii) स्वीकृत क्षेत्र का 25% =

@ (आरक्षित दर)

= `

से अधिक परन्तु 50% तक

(iv) 50% से अधिक निर्माण (कम्पाउण्ड योग्य नहीं) = साईज :

= क्षेत्रफल

(v) बॉलकनी सैटबैक की चौड़ाई का 1/2 = साईज :

या 1.5 मीटर तक जो भी कम हो = क्षेत्रफल

@(50 % आरक्षित दर)

= `

(vi) बॉलकनी का अधिक निर्माण (कम्पाउण्ड योग्य नहीं) = साईज :

क्षेत्रफल

3. साईड सैटबैक – II ()

(i) सैटबैक में निर्मित क्षेत्रफल = साईज :
= क्षेत्रफल

(ii) स्वीकृत क्षेत्र का 25% तक = @ (50 % आरक्षित दर) = `

(iii) स्वीकृत क्षेत्र का 25% = @ (आरक्षित दर) = `
से अधिक परन्तु 50% तक

(iv) 50% से अधिक निर्माण (कम्पाउण्ड योग्य नहीं) = साईज :
= क्षेत्रफल

(v) बॉलकनी सैटबैक की चौड़ाई का 1/2 = साईज :
या 1.5 मीटर तक जो भी कम हो = क्षेत्रफल @ (50 % आरक्षित दर
= `

(vi) बॉलकनी का अधिक निर्माण (कम्पाउण्ड योग्य नहीं) = साईज : क्षेत्रफल

4. पीछे का सैटबैक –

(i) सैटबैक में निर्मित क्षेत्रफल = साईज :
= क्षेत्रफल

(ii) स्वीकृत क्षेत्र का 25% तक = @ (50 % आरक्षित दर) = `

(iii) स्वीकृत क्षेत्र का 25% = @ (आरक्षित दर) = `
से अधिक परन्तु 50% तक

(iv) 50% से अधिक निर्माण (कम्पाउण्ड योग्य नहीं) = साईज :
= क्षेत्रफल

(v) बॉलकनी सैटबैक की चौड़ाई का 1/2 = साईज :
या 1.5 मीटर तक जो भी कम हो = क्षेत्रफल @ (50 % आरक्षित दर
= `

(vi) बॉलकनी का अधिक निर्माण (कम्पाउण्ड योग्य नहीं) = साईज : क्षेत्रफल

योग 1 (i), (iii) + 2, 3 व 4 (ii), (iii) व (v) = `

अनुज्ञेय योग्य निर्माण बिना स्वीकृति करने पर ` 5000 (प्रति मंजिल/तहखाना) = `

कुल देय राशि = `

नोट :- मानचित्रों में कम्पाउडिंग क्षेत्र की साईज हरे रंग से

एवं नॉन कम्पाउडेबल क्षेत्र की साईज पीले रंग से दर्शाये।

नक्शा लाइसेन्सशुदा आर्किटेक्ट

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम

सील

हस्ताक्षर

दिनांक

नोट :- एसंसमेन्ट फॉर्म नगर सुधार न्यास, अजमेर की वेबसाईट www.uitajmer.org से डाउनलोड कर सकते हैं।

प्रमाण पत्र

मेरे द्वारा भूखण्ड संख्या खसरा नं. ग्राम/योजना..... आवेदक
.....निवासीके मौके पर
किये गये निर्माण के अनुसार तैयार किये गये भवन मानचित्र व सेल्फ एसेस्मेन्ट मौके के अनुरूप सही है। अगर किसी भी
प्रकार की त्रुटि पाई जाती है तो वह मेरे स्वयं की जिम्मेदारी होगी।

नक्शा लाइसेन्सशुदा आर्किटेक्ट

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम

सील

हस्ताक्षर

दिनांक

श्रेणी (ब) :- 100 वर्गमीटर तक के व्यावसायिक/व्यावसायिक टाइप डिजाइन के
भूखण्डों हेतु कम्पाउडिंग फीस

(सेल्फ एससेसमेन्ट फॉर्म)

1. भूखण्डधारी का नाम
एवं पता
2. योजना का नाम/खसरा नं व ग्राम
3. भूखण्ड संख्या
4. भूखण्ड का माप एवं क्षेत्रफल वर्गगज/वर्ग मीटर
5. भूखण्ड के सैट-बैक सामने साईड(1) साईड (2) पीछे
जारी साईट प्लान अनुसार
6. योजना की आरक्षित दर = ` वर्गगज/वर्गमीटर

तल

1. अनुज्ञेय योग्य निर्माण बिना अनुमति करने पर
@10,000 प्रतिमंजिल/तहखाना = ` 10,000
= `
 2. टाइप डिजाइन/स्वीकृति के विरुद्ध विखण्डन कर निर्माण
= साईज :
= विखण्डित क्षेत्रफल @ (दुगनी आरक्षित दर)
= `
 3. टाइप डिजाइन/स्वीकृति के विरुद्ध तहखाने का निर्माण
= साईज :
= क्षेत्रफल @ (दुगनी आरक्षित दर)
= `
 4. ऊंचाई में वृद्धि
9 मीटर या अनुज्ञेय से 1.0 मीटर जो भी कम हो = साईज :
= क्षेत्रफल @ (आरक्षित दर)
- योग 1 + 2 + 3 + 4 = `
- कुल देय राशि = `

- नोट :-** 1. बरामदा कवर करने पर नियमन नहीं किया जायेगा।
2. मानचित्रों में कम्पाउडिंग क्षेत्र की साईज हरे रंग से
एवं नॉन कम्पाउडेबल क्षेत्र की साईज पीले रंग से दर्शाये।

नक्शा लाइसेन्सशुदा आर्किटेक्ट

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम

सील

हस्ताक्षर

दिनांक

नोट :- एसेंसमेन्ट फॉर्म नगर सुधार न्यास, अजमेर की वेबसाईट www.uitajmer.org से डाउनलोड कर सकते है।

प्रमाण पत्र

मेरे द्वारा भूखण्ड संख्या खसरा नं. ग्राम/योजना..... आवेदक
.....निवासी के मौके पर
किये गये निर्माण के अनुसार तैयार किये गये भवन मानचित्र व सेल्फ एसेस्मेन्ट मौके के अनुरूप सही है। अगर किसी भी
प्रकार की त्रुटि पाई जाती है तो वह मेरे स्वयं की जिम्मेदारी होगी।

नक्शा लाइसेन्सशुदा आर्किटेक्ट

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम

सील

हस्ताक्षर

दिनांक

श्रेणी (स) :- 750 वर्गमीटर से बड़े गैर व्यावसायिक एवं 100 वर्गमीटर से बड़े
व्यावसायिक भूखण्डों हेतु कम्पाउंडिंग फीस

(सेल्फ एसेंसमेन्ट फॉर्म)

1. भूखण्डधारी का नाम
एवं पता
2. योजना का नाम/खसरा नं व ग्राम
3. भूखण्ड संख्या
4. भूखण्ड का माप एवं क्षेत्रफल वर्गगज/वर्ग मीटर
5. भूखण्ड के सैट-बैक सामने साईड(1) साईड (2) पीछे
जारी साईट प्लान अनुसार
6. योजना की आरक्षित दर = `वर्गगज/वर्गमीटर

तल

I. सैटबैक कवर्ड

(1) अग्र सैटबैक

(i) 0.3 मीटर की चौड़ाई तक का क्षेत्रफल = साईज :.
= क्षेत्रफल @ (आरक्षित दर) = `

(ii) 0.3 मीटर से अधिक निर्माण (कम्पाउण्ड योग्य नहीं) = साईज : क्षेत्रफल

(iii) बॉलकनी सैटबैक की चौड़ाई का 1/5 = साईज @ (आरक्षित दर)
या 1.8 मीटर तक, जो भी कम हो = `

(iv) बॉलकनी का अधिक निर्माण (कम्पाउण्ड योग्य नहीं) = साईज : क्षेत्रफल

(2) साईड सैटबैक – I ()

(i) सैटबैक की चौड़ाई का 10% तक X निर्मित क्षेत्र की चौड़ाई = साईज :.
= @ (आरक्षित दर) = `

(ii) 10% से अधिक निर्माण (कम्पाउण्ड योग्य नहीं) = साईज : क्षेत्रफल

(iii) बॉलकनी सैटबैक की चौड़ाई का 1/5 = साईज @ (आरक्षित दर)
या 1.8 मीटर तक, जो भी कम हो = `

(iv) बॉलकनी का अधिक निर्माण (कम्पाउण्ड योग्य नहीं) = साईज : क्षेत्रफल

(3) साईड सैटबैक – II ()

(i) सैटबैक की चौड़ाई का 10% तक X निर्मित क्षेत्र की चौड़ाई = साईज :.
= @ (आरक्षित दर) = `

(ii) 10% से अधिक निर्माण (कम्पाउण्ड योग्य नहीं) = साईज : क्षेत्रफल

(iii) बॉलकनी सैटबैक की चौड़ाई का 1/5 = साईज @ (आरक्षित दर)
या 1.8 मीटर तक, जो भी कम हो = `

(iv) बॉलकनी का अधिक निर्माण (कम्पाउण्ड योग्य नहीं) = साईज : क्षेत्रफल

(4) पीछे का सैटबैक –

(i) सैटबैक की चौड़ाई का 10% तक X निर्मित क्षेत्र की चौड़ाई = साईज :.
= @ (आरक्षित दर) = `

(ii) 10% से अधिक निर्माण (कम्पाउण्ड योग्य नहीं) = साईज : क्षेत्रफल

(iii) बॉलकनी सैटबैक की चौड़ाई का 1/5 = साईज @ (आरक्षित दर)

या 1.8 मीटर तक, जो भी कम हो = `

(iv) बॉलकनी का अधिक निर्माण (कम्पाउण्ड योग्य नहीं) = साईज : क्षेत्रफल

II ऊंचाई

(i) अनुज्ञेय से 5% वृद्धि तक = साईज
या 2.0 मीटर जो भी कम हो = क्षेत्रफल @ (50% आरक्षित दर)

= `

III अनुज्ञेय योग्य निर्माण बिना अनुमति करने पर

(i) छत से ढका हुआ = साईज @ (20% आरक्षित दर)

= `

(ii) छत से बिना ढका = साईज
= क्षेत्रफल @ (10% आरक्षित दर)

(i) + (ii) = `

IV बालकनी/प्रोजेक्सन आच्छादित (कवर्ड) करने पर

आच्छादित/कवर्ड क्षेत्रफल = साईज
= क्षेत्रफल @ (आरक्षित दर)
= `

सर्व योग I - 1, 2, 3, 4 (i) व (iii) + II + III + = `

कुल देय राशि = `

नोट :- मानचित्रों में कम्पाउडिंग क्षेत्र की साईज हरे रंग से
एवं नॉन कम्पाउडेबल क्षेत्र की साईज पीले रंग से दर्शाये।

नक्शा लाइसेन्सशुदा आर्किटेक्ट आवेदक के हस्ताक्षर

नाम

सील

हस्ताक्षर

दिनांक

नोट :- एसेंसमेन्ट फॉर्म नगर सुधार न्यास, अजमेर की वेबसाईट www.uitajmer.org से डाउनलोड कर सकते है।

प्रमाण पत्र

मेरे द्वारा भूखण्ड संख्या खसरा नं. ग्राम/योजना..... आवेदक
.....निवासीके मौके पर
किये गये निर्माण के अनुसार तैयार किये गये भवन मानचित्र व सेल्फ एसेस्मेन्ट मौके के अनुरूप सही है। अगर किसी भी
प्रकार की त्रुटि पाई जाती है तो वह मेरे स्वयं की जिम्मेदारी होगी।

नक्शा लाइसेन्सशुदा आर्किटेक्ट

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम

सील

हस्ताक्षर

दिनांक

श्रेणी (द) :- बिना सैट बैक वाले भूखण्डों/क्वाटरों हेतु प्रोजेक्शन की कम्पाउडिंग फीस
(सेल्फ एसेंसमेन्ट फॉर्म)

1. भूखण्डधारी का नाम
एवं पता
2. योजना का नाम/खसरा नं व ग्राम
3. भूखण्ड संख्या
3. भूखण्ड का माप एवं क्षेत्रफल वर्गगज/वर्ग मीटर
4. योजना की आरक्षित दर = `वर्गगज/वर्ग मीटर

तल

1. बॉलकनी :

$$\begin{aligned} 0.9 \text{ मीटर तक चौड़ी बॉलकनी} &= \text{साईज:} \\ &= \text{क्षेत्रफल} @ (25\% \text{ आरक्षित दर}) \\ &= \end{aligned}$$

कुल देय राशि = `

नोट :- (i) मानचित्रों में कम्पाउडिंग क्षेत्र की साईज हरे रंग से दर्शाये।

(ii) सिर्फ 3'-0" चौड़ाई तक की बॉलकनी/प्रोजेक्शन ही नियमन योग्य है। सैट बैक का उल्लंघन कर किया गया किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नियमन योग्य नहीं है।

नक्शा लाइसेन्सशुदा आर्किटेक्ट

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम

सील

हस्ताक्षर

दिनांक

नोट :- एसेंसमेन्ट फॉर्म नगर सुधार न्यास, अजमेर की वेबसाईट www.uitajmer.org से डाउनलोड कर सकते हैं।

प्रमाण पत्र

मेरे द्वारा भूखण्ड संख्या खसरा नं. ग्राम/योजना..... आवेदक
.....निवासीके मौके पर
किये गये निर्माण के अनुसार तैयार किये गये भवन मानचित्र व सेल्फ एसेसेमेन्ट मौके के अनुरूप सही है। अगर किसी भी
प्रकार की त्रुटि पाई जाती है तो वह मेरे स्वयं की जिम्मेदारी होगी।

नक्शा लाइसेन्सशुदा आर्किटेक्ट

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम

सील

हस्ताक्षर

दिनांक